कैलाश कुमार सनवाटिया

बनाम

बिहार राज्य एवं एक अन्य

2 सितम्बर, 2003

[दोराईस्वामी राजू तथा अरिजीत पसायत, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 — धारा 405 तथा धारा 409 सहपठित धारा 34 — बैंक के नकद काउंटर पर बैंक ड्राफ्ट तैयार करने हेतु धनराशि सौंपी गई — धनराशि चोरी हो गई — बैंक अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक न्यासभंग के आरोप निर्धारित — विचारण न्यायालय द्वारा प्रधान रोकड़िया तथा धन गणना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया — प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी के बिन्दु पर ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया — अपील में निर्णय : यदि धनराशि की सुपुर्दगी सिद्ध भी हो जाए, तब भी यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या संपत्ति का कोई बेईमान गबन, रूपांतरण, उपयोग अथवा निस्तारण हुआ — यदि सुपुर्द व्यक्ति आकस्मिक अथवा मध्यवर्ती परिस्थिति के कारण कार्य निष्पादन में असमर्थ हो जाए तो अपराध के तत्व विद्यमान नहीं माने जाएंगे — दोषमुक्ति की पुष्टि की गई।

अपीलकर्ता ₹ 1,50,200 की राशि बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने हेतु एक बैंक में लेकर गया। उक्त राशि बैंक अधिकारियों को सौंपी गई। तत्पश्चात बैंक के चपरासी ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि उसके द्वारा नकद काउंटर पर सौंपी गई धनराशि लापता हो गई है। संबंधित सभी अधिकारियों के विरुद्ध धारा 409 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए; उन्होंने निर्दोषता का दावा किया। विचारण न्यायालय ने प्रधान रोकड़िया तथा धन गणना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया और प्रत्येक को दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ठोस

एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में उन्हें दोषमुक्त कर दिया, तथापि धनराशि सौंपे जाने एवं उसके लापता होने के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलकर्ता का तर्क था कि सुपुर्दगी चाहे जिस भी प्रकार से हुई हो, यदि सुपुर्दगी का तथ्य सिद्ध हो जाए तो सुपुर्दगी की विधि प्रासंगिक नहीं रहती।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने—

अभिनिर्धारित: 1. धारा 405 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप सिद्ध करने के लिए मूलभूत आवश्यकता यह है कि सुपुर्दगी तथा अभियुक्त की बेईमान नीयत, गबन अथवा संपत्ति को अपने उपयोग में परिवर्तित करना — इन दोनों को संयुक्त रूप से सिद्ध किया जाए। नीयत प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं होती; कुछ व्यापक परीक्षण निर्धारित किए गए हैं, जो यह तय करने में सहायक होते हैं कि किसी विशिष्ट मामले में अभियुक्त के पास अपराध के लिए आवश्यक *आपराधिक मनोभाव* था या नहीं।[319-डी]

2. धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी अथवा अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग से संबंधित है और इसके प्रवर्तन हेतु सुपुर्दगी का सिद्ध होना आवश्यक है। दोषसिद्धि तभी संभव है जब निम्नलिखित दो तत्व सिद्ध हों— (i) अभियुक्त, जो लोक सेवक, बैंकर अथवा अभिकर्ता है, ऐसी संपत्ति से सुपुर्द किया गया हो जिसके लिए वह उत्तरदायी है; तथा (ii) अभियुक्त द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया गया हो। [318-एफ, जी]

3. वर्तमान मामले में, भले ही यह सिद्ध हो कि धनराशि सुपुर्द की गई थी, फिर भी यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तों ने बेईमानी से उसका गबन किया या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित किया अथवा बेईमानी से उसका उपयोग या निस्तारण किया। यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि धनराशि नकद काउंटर से उठा ली गई थी और अभियोजन का यह मामला नहीं है कि धनराशि अभियुक्तों को बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने हेतु दी गई और उन्होंने उसे उठा लिया। बैंक ड्राफ्ट किसी मध्यवर्ती परिस्थिति के कारण तैयार नहीं

हो सके क्योंकि किसी व्यक्ति ने नकदी चोरी कर ली। केवल धन की हानि होने से आपराधिक न्यासभंग के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति को सुपुर्द धनराशि के संबंध में वह आकस्मिक अथवा मध्यवर्ती परिस्थिति के कारण कार्य निष्पादन में असमर्थ हो जाए, तो धारा 405 अथवा धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होगी, जब तक कि गबन, निजी उपयोग हेतु रूपांतरण अथवा संपत्ति के निस्तारण का प्रमाण स्थापित न किया जाए। अधीनस्थ न्यायालयों ने इन अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया, जिसके कारण अभियुक्तों को धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। [319-एफ-एच, 320-ए, बी]

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : 1996 की आपराधिक अपील सं. 904

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 19.3.1996 के निर्णय एवं आदेश से, आपराधिक पुनरीक्षण सं. 20/1988

अपीलकर्ता के लिए- एस. बी. उपाध्याय, आर. आर. दुबे एवं संतोष मिश्रा।

उत्तरदाता सं. 1 के लिए- अनिल कुमार झा।

उत्तरदाता सं. 2 के लिए- जी. एस. चटर्जी (अनुपस्थित) ।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति : यह अपील उस सूचक के उदाहरण पर है, जिसने उत्तरदाता संख्या-2 गौतम बोस के विरुद्ध तथा अन्य दो व्यक्तियों के साथ, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के कथित कारित किए जाने के लिए विधि को गतिशील किया।

अभियोजन का मामला यह था कि 23 अगस्त, 1982 को अपीलकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, झरिया शाखा में ₹75,000/- के दो बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने हेतु गया। उसके साथ

उसका सेवक इन्द्रदेव राम भी था। अपीलकर्ता अपने साथ कुल ₹1,50,200/- की राशि लेकर गया था, जिसमें से ₹75,100/- महावीर भंडार की थी, जिसका स्वामी अपीलकर्ता था, जबकि शेष ₹75,100/- स्वस्तिक भंडार की थी, जो अपीलकर्ता के भाई की थी। उक्त सम्पूर्ण राशि अभियुक्त गनौरी साह को, अभियुक्त गौतम बोस — प्रधान रोकड़िया के निर्देश पर, गणना के उद्देश्य से सौंपी गई। चपरासी ने अपीलकर्ता को बताया कि वह नकद धनराशि की गणना करेगा और जिस थैले में धनराशि लाई गई थी, उसे दोपहर 2.00 बजे लौटा देगा। सूचक-अपीलकर्ता ने विधिवत भरे हुए नकद वाउचर बैंक के अधिकारी अमित कुमार बनर्जी को सौंपे और यह कहे जाने पर कि ड्राफ्ट लगभग 2.00 बजे दे दिए जाएंगे, वह अपनी दुकान लौट गया। लगभग 1.00 बजे बैंक का चपरासी जगदीश अपीलकर्ता की दुकान पर आया और उसे बताया कि उसके द्वारा नकद काउंटर पर सौंपी गई धनराशि लापता हो गई है। यह सुनते ही सूचक तथा उसका भाई दोनों बैंक की ओर दौड़े। उन्हें बताया गया कि धनराशि के लापता होने के संबंध में बैंक के प्रबंधक द्वारा पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। जब तक अपीलकर्ता और उसका भाई बैंक पहुँचे, तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। गनौरी साह ने स्वीकार किया कि वह सूचक द्वारा सौंपी गई धनराशि की गणना कर रहा था। जब वह कुछ समय के लिए बाहर गया, उसी दौरान किसी व्यक्ति द्वारा वह धनराशि उठा ली गई। सूचक ने बैंक परिसर में ही पुलिस अधिकारी के समक्ष एक लिखित प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-3) प्रस्तुत की और उसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया तथा अनुसंधान आरंभ किया गया।

अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा गौतम बोस, गनौरी साह एवं जगदीश राम के विरुद्ध धारा 409 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए। अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया और यह पक्ष लिया कि बीमा कंपनी के माध्यम से बैंक से धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से यह मामला झूठा दर्ज कराया गया है।

अभियोजन के मामले को सिद्ध करने हेतु 10 साक्षियों का परीक्षण किया गया। विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्यों पर अवलंबन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि केवल उत्तरदाता सं. 2 — गौतम बोस एवं गनौरी साह ही धारा 409 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के दोषी हैं, और उन्हें प्रत्येक को दो वर्ष के कारावास से दंडित किया। उक्त अभियुक्तों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धनबाद के समक्ष आपराधिक अपील सं. 145/1986 आपराधिक अपील सं. एवं 151/1986 दायर की, जिन्होंने यह निर्णय दिया कि साक्ष्यों में अनेक दुर्बलताएँ हैं तथा धारा 409 भारतीय दंड संहिता को लागू करने हेतु सुपुर्दगी के तरीके के संबंध में संदेह है, इसलिए आरोप सिद्ध नहीं होते। इस निर्णय के विरुद्ध सूचक-अपीलकर्ता द्वारा पटना उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया गया। आक्षेपित निर्णय द्वारा, माननीय एकल न्यायाधीश ने यह माना कि यद्यपि धनराशि सौंपे जाने का आभास होता है, तथापि यह विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता कि धनराशि वास्तव में कब लापता हुई। हालांकि, ₹1,50,200/- की सुपुर्दगी तथा नकद काउंटर से धनराशि के लापता होने का तथ्य अभिलिखित किया गया। परंतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह संदेह से परे सिद्ध नहीं होता कि वास्तव में धनराशि प्रधान रोकड़िया गौतम बोस के निर्देश पर गनौरी साह को सुपुर्द की गई थी, यद्यपि बैंक परिसर एवं नकद काउंटर से धनराशि लापता हुई थी। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि धनराशि की चोरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। चूँकि सूचक ने बैंक से धनराशि की वसूली हेतु दीवानी वाद दायर किया है, वह उस उपाय का अनुसरण कर सकता है। सुपुर्दगी के बिन्दु पर साक्ष्य के अभाव में धारा 409 का मामला सिद्ध नहीं माना गया। इसी के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब यह स्वीकार है कि बैंक परिसर के नकद काउंटर से धनराशि लापता हुई और प्रबंधक द्वारा धारा 380 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई, तब विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय

न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का यह कहना उचित नहीं था कि धारा 409 भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में सुपुर्दगी के तरीके को लेकर सामग्री का अभाव है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विधिक प्रावधानों की भाषा से स्पष्ट है कि सुपुर्दगी चाहे जिस भी प्रकार से हुई हो, यदि सुपुर्दगी का तथ्य सिद्ध हो जाए, तो और कुछ सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है।

सूचना दिए जाने के बावजूद, उत्तरदाता सं. 2 की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई। बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन किया।

धारा 409 भारतीय दंड संहिता लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी अथवा अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग से संबंधित है। उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु सुपुर्दगी का सिद्ध होना आवश्यक है। धारा 409 के अंतर्गत दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित दो तत्वों का सिद्ध होना आवश्यक है—

(1) अभियुक्त, जो लोक सेवक, बैंकर अथवा अभिकर्ता हो, ऐसी संपत्ति से सुपुर्द किया गया हो जिसके लिए वह उत्तरदायी हो; तथा

(2) अभियुक्त द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया गया हो।

आपराधिक न्यासभंग का तात्पर्य धारा 405 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। धारा 409 मूलतः विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक न्यासभंग है। इसके तत्व इस प्रकार हैं—

(1) किसी व्यक्ति को संपत्ति अथवा संपत्ति पर आधिपत्य के साथ सुपुर्द करना;

(2) सुपुर्द व्यक्ति द्वारा— (क) उस संपत्ति का बेईमानी से गबन करना अथवा अपने उपयोग में परिवर्तित करना; अथवा (ख) बेईमानी से उसका उपयोग या

निस्तारण करना अथवा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देना—

(i) विधि द्वारा निर्धारित निर्देशों के उल्लंघन में; अथवा

(ii) न्यास के निर्वहन से संबंधित किसी वैधानिक अनुबंध के उल्लंघन में।

धारा 405 के अंतर्गत आरोप सिद्ध करने हेतु मूलभूत आवश्यकता यह है कि (1) सुपुर्दगी, तथा(2) अभियुक्त की बेईमान नीयत से गबन या निजी उपयोग हेतु रूपांतरण —इन दोनों को संयुक्त रूप से सिद्ध किया जाए। नीयत प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं होती; कुछ व्यापक परीक्षण निर्धारित किए गए हैं, जो यह तय करने में सहायक होते हैं कि किसी विशेष मामले में अभियुक्त के पास अपराध हेतु आवश्यक *आपराधिक मनोभाव* था या नहीं।

वर्तमान मामले में, भले ही यह मान लिया जाए कि धनराशि सुपुर्द की गई थी—जैसा कि नकद काउंटर से धनराशि के लापता होने के स्वीकार्य तथ्य से परिलक्षित होता है—फिर भी यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तों ने उस संपत्ति का बेईमानी से गबन किया या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित किया अथवा बेईमानी से उसका उपयोग या निस्तारण किया। अभियोजन के अनुसार, धनराशि नकद काउंटर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठा ली गई। अभियोजन का यह मामला नहीं है कि बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने हेतु अभियुक्त गौतम बोस अथवा नकद चपरासी गनौरी साह को दी गई धनराशि उन्होंने स्वयं उठा ली। किसी मध्यवर्ती परिस्थिति के कारण—अर्थात किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चोरी किए जाने से— बैंक ड्राफ्ट तैयार नहीं हो सके। केवल धनराशि की हानि से आपराधिक न्यासभंग के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते। यदि किसी आकस्मिक अथवा मध्यवर्ती परिस्थिति के कारण सुपुर्द व्यक्ति कार्य निष्पादन में असमर्थ हो जाए, तो धारा 405 अथवा धारा 409 भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी, जब तक कि गबन, निजी उपयोग हेतु रूपांतरण अथवा संपत्ति के निस्तारण का प्रमाण स्थापित न किया जाए। दुर्भाग्यवश, अधीनस्थ न्यायालयों ने इन अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं से मामले को नहीं देखा। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभियुक्तों

को धारा 409 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यह, तथापि, अपीलकर्ता को विधि में उपलब्ध अन्य उपायों के माध्यम से उपयुक्त अनुतोष प्राप्त करने से नहीं रोकेगा।

अपील उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ खारिज की जाती है।

ए.क्यू. अपील खारिज।